परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

संदर्भः परिच्छेद-2.3.1: परिचय

बिक्री कर कानूनों के अंतर्गत पंजीकरण, कर निर्धारण तथा बकाया की वसूली के लिए प्रक्रिया

व्यापारियों का पंजीकरण ⇨	हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 4 तथा धारा 8 और हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 तथा 14 में प्रावधान है कि कोई भी व्यापारी, इन अधिनियमों के अंतर्गत कर अदायगी के लिए दायी होते हुए, व्यापारी के रूप में व्यवसाय जारी नहीं रखेगा जब तक वह पंजीकृत नहीं है तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र लिये हुए नहीं हैं।
प्रतिभूति/जमानत ⇨	हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 11 तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 15 में कर निर्धारण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए रोकड़ निक्षेपों, एफ0डी0आर0 इत्यादि के रूप में प्रतिभूति प्राप्त करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, एक व्यापारी के लिए दो जमानतों के साथ व्यक्तिगत बंद पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
कर तथा विवरणियों की अदायगी ⇨	हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 12 तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16 में एक व्यापारी के लिए निक्षेपित कर की कोषागार रसीद के साथ अपनी मासिक/तिमाही विवरणी दायर करनी अनिवार्य होती है।
व्यापारी की विवरणियों का निर्धारण/संवीक्षा ⇨	हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली के नियम 66 में संवीक्षा के लिए मामलों के चयन का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर नियमावली के नियम 34 तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली के नियम 67 में व्यापारी को कर निर्धारण के लिए सूचना जारी करने का प्रावधान हैं।
कर मांग सूचना ⇨	हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर नियमावली के नियम 47 तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली के नियम 70 में निर्धारित समय के भीतर (न तो 15 दिनों से कम और न ही 30 दिनों से अधिक) कर मांग सूचना देने का प्रावधान है।
बकाया ⇨	यदि व्यापारी कर मांग सूचना में निर्धारित समय के भीतर देय कर की अदायगी में विफल हो जाता है तो ऐसी भुगतान न की गई मांगें बकाया का निर्माण करती हैं।
बिक्री कर कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध वसूली उपाय ⇨	हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 16, 16-क, 16-ख, 28-क तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 25, 26, 27, 41 तथा 42 में प्रोद्भूत सरकारी देयों की वसूली के लिए विभिन्न उपाय अपनाने का प्रावधान है। नियमों में व्यापारी द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिभूति के अपवर्तन द्वारा वसूली का प्रावधान है।
भू-राजस्व के बकाया के रूप में बकाया की वसूली ⇨	हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत सरकारी देयों की वसूली कोई एक अथवा अधिक प्रक्रियाओं जैसे चूककर्त्ता पर रिट मांग सेवा, कैद तथा कारावास, चल सम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री, परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा कुर्की अथवा चूककर्त्ता की चल सम्पत्ति के प्रति धारणा एवं कार्रवाइयां, अपनाते हुए की जा सकती हैं।

परिशिष्ट-II
संदर्भ: परिच्छेद-2.3.6.1: बकाया का अल्प लेखाकरण

क्रमांक	इकाई का नाम	मामलों की संख्या	के बीच की अवधि से सम्बंधित बकाया	बकाया की राशि (₹ करोड़)	कारण
1	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बी.बी.एन. बद्दी	23	सितम्बर 2010 तथा अक्तूबर 2011	0.09	मार्च 2013 तक बकाया में बकाया की गणना नहीं थी/अल्प गणना थी।
		4	मार्च 1996 तथा अक्तूबर 2011	1.33	बकाया भू-राजस्व की फाइलों के अनुसार बकाया ₹18.02 करोड़ था किन्तु यह ₹16.69 करोड़ के रूप में प्रतिवेदित किया जा रहा था।
		--	अप्रैल 2009 तथा मार्च 2013	3.88	आयुक्त को ₹92.98 करोड़ बकाया प्रतिवेदित (मार्च 2013) किया गया था किन्तु दलवार बकाया सूची के अनुसार इसकी गणना ₹96.86 करोड़ की गई।
			अगस्त 2009 तथा मार्च 2013	2.38	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बी.बी.एन. बद्दी, कार्यालय के सृजन के बाद अधिकार क्षेत्र में हुए परिवर्तन के परिणामस्वरूप ₹41.18 करोड़ का बकाया सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सोलन द्वारा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बी.बी.एन. बद्दी, को हस्तांतरित किया गया था जिसकी ₹38.80 करोड़ के रूप में अभिलेखों के साथ-साथ विभागाध्यक्ष को अग्रेषित विवरण में गणना की गई थी।
2	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर	4	अगस्त 2003 तथा दिसम्बर 2010	0.09	राशि निपटान पंजिका में शेष थी किन्तु इसकी बकाया पंजिका में गणना नहीं की गई थी।
3	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हमीरपुर	2	मार्च 2010 तथा मार्च 2011	0.03	उपरोक्त
4	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला	18	सितम्बर 2008 तथा दिसम्बर 2012, अप्रैल 2008 तथा मार्च 2013	0.01	उपरोक्त
		22		0.04	बकाया पंजिका में बकाया या तो आगे बढ़ाया नहीं गया था या कम आगे बढ़ाया गया था।
5	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, नाहन	23	मई 2008 तथा अगस्त 2012	0.21	राशि निपटान पंजिका में शेष थी किन्तु इसकी बकाया पंजिका में गणना नहीं की गई थी।
6	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना	108	अगस्त 2008 तथा मार्च 2013	0.63	उपरोक्त
		12	अप्रैल 2008 तथा मार्च 2013	0.05	बकाया भू-राजस्व पंजिका के अनुसार शेष बकाया ₹92.59 लाख था किन्तु यह मार्च 2013 तक बकाया पंजिका में ₹87.96 लाख दर्शाया गया था।
7	उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (दक्षिणी क्षेत्र)	10	अगस्त 2009 तथा जून 2012, मई 2011 तथा नवम्बर 2011	1.23	राशि निपटान पंजिका में शेष थी किन्तु इसकी बकाया पंजिका में गणना नहीं की गई थी।
		4		0.96	(क) ₹21.19 लाख की मांग की अल्प गणना की गई थी; (ख) आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा उठाई गई ₹37.40 लाख की मांग और आबकारी एवं कराधान आयुक्त के पास अपील में लंबित ₹36.97 लाख की मांग बकाया पंजिका में दर्ज नहीं की गई थी; (ग) वसूली के लिए शेष ₹0.87 लाख की मांग बकाया पंजिका में नगण्य दर्शायी गई थी।
		1	अगस्त 2002	0.01	मार्च 2013 तक बकाया सूची में ₹9,47,517 की मांग की गणना ₹8,50,520 के रूप में की गई थी।
8	उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता), उत्तरी क्षेत्र	6	सितम्बर 1998 तथा फरवरी 2007	0.04	बकाया वसूली के लिए कांगड़ा के सर्कल कार्यालय को हस्तांतरित किया गया था किन्तु इसकी गणना उस कार्यालय में नहीं की गई थी और किसी भी अभिलेख में बकाया के रूप में दर्शाया भी नहीं गया था।
योग		**237**		**10.98**	

परिशिष्ट-III
संदर्भ: परिच्छेद-2.3.6.1: बकाया का अल्प लेखाकरण

क्रमांक	इकाई का नाम	मामलों की संख्या	बकाया की राशि (₹ लाख)	लेखापरीक्षा प्रेक्षण
1	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर	3	2.98	मार्च 2013 तक बकाया में ₹24.00 लाख के रूप में ₹26.98 लाख के बकाया की गलत गणना।
2	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हमीरपुर	1	2.79	बकाया पंजिका में दो बार ₹2.79 लाख के बकाया की गणना की गई थी।
3	उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता), दक्षिणी क्षेत्र परवाणू	1	18.36	बकाया होटलों तथा लग्जरी कर पर करों के अंतर्गत वसूली योग्य था जिसकी मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत गलत गणना हुई थी।
		1	0.42	आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा उसके सितम्बर 2010 के आदेशों द्वारा मांग दबा दी गई थी किन्तु इसकी बकाया की पंजिका में गणना नहीं की गई थी।
योग		**6**	**24.55**	

परिशिष्ट-IV
संदर्भ: परिच्छेद-2.3.6.2: मांग तथा संग्रहण पंजिका का गैर अनुरक्षण

क्रमांक	राजस्व जिला	कार्यालय/सर्कल का नाम	टिप्पणियां
1.	बी.बी.एन. बद्दी	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बी.बी.एन. बद्दी	अगस्त 2009 से मार्च 2012 की अवधि के लिए वर्षवार केन्द्रीकृत बकाया पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
		नालागढ़ I एवं II सर्कल	अप्रैल 2008 से मार्च 2012 की अवधि के लिए बकाया पंजिकाएं अनुरक्षित नहीं की गई थी।
		बी.बी.एन. बद्दी I एवं II सर्कल	यह बताया गया था कि 73 चूककर्त्ताओं के मामले में बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूली के लिए ₹51.37 करोड़ की राशि घोषित की गई थी। लेकिन ऐसे बकाया के अनुश्रवण हेतु कोई पंजिका अनुरक्षित नहीं की गई थी।
2.	ऊना	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना	अप्रैल 2008 से मार्च 2012 की अवधि के लिए वर्षवार केन्द्रीकृत बकाया पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
		बंगाणा सर्कल	वर्षवार बकाया पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
		मेहतपुर सर्कल	2010-11 के बाद से बकाया पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
3.	उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता), दक्षिणी क्षेत्र	--	2009-10 के बाद से बकाया पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

परिशिष्ट-V
संदर्भ: परिच्छेद-2.8.1: अवैध, डूप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण/दुरूपयोग- प्रपत्र-'सी'

इकाई का नाम	फर्म का नाम मैसर्ज	कर निर्धारण का वर्ष कर निर्धारण की तिथि	छूट प्राप्त कुल बिक्री पर उद्ग्राह्य कर की विभेदक राशि	हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 19 (i) के अंतर्गत उद्ग्रहण योग्य ब्याज	कुल	प्रपत्र के नकारे जाने के कारण
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बी.बी.एन. बद्दी	मेडन फर्मास्युटिकल्स	2007-08 05.06.2013	321598	340894	662492	प्रपत्र डूप्लीकेट प्रति थे (2 प्रपत्र)
	जिंदल बिलटेक प्रा0लि0	2007-08 12.03.2013	1229917	1303712	2533629	एक प्रपत्र डूप्लीकेट प्रति था तथा अन्य अपूर्ण था (1+1=2 प्रपत्र)
	बी0डी0एस0 डेकर एण्ड प्रिफेब (पी) लि0	2007-08 30.03.2012	246819	261628	508447	प्रपत्र डूप्लीकेट प्रति था (1 प्रपत्र)
	रेगालिया लेमिनेट्स	2006-07 --	244058	258702	502760	प्रपत्रों में नई दिल्ली का गलत पता था (15 प्रपत्र)
		2007-08 14.03.2013	132264	140200	272464	प्रपत्रों की डूप्लीकेट प्रतियां जमा करवाई गई थी (2 प्रपत्र)
	4 व्यापारी	**5 मामले**	**2174656**	**2305136**	**4479792**	**22 प्रपत्र**
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कुल्लू	पुरी ब्रदर्स कुल्लू	2006-07 14.03.2011	51227	63522	114749	प्रपत्र डूप्लीकेट प्रति थे (4 प्रपत्र)
		2007-08 16.03.2012	36800	39008	75808	प्रपत्र डूप्लीकेट प्रति थे (5 प्रपत्र)
	1 व्यापारी	**2 मामले**	**88027**	**102530**	**190557**	**9 प्रपत्र**
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्डी	फार्मेन्टा बायोटेक लि0	2009-10 28.08.12	79816	55871	135687	प्रपत्रों में ठाणे, मुम्बई तथा जम्मू एवं कश्मीर का गलत पता था (7 प्रपत्र)
	1 व्यापारी	**1 मामले**	**79816**	**55871**	**135687**	**7 प्रपत्र**
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन	क्वांटम पावर सिस्टम्स, परवाणु	2010-11 08.06.2012	1123860	584407	1708267	प्रपत्र के प्रति सूचना प्रौधोगिकी उत्पाद के रूप में टिकट मशीन की बिक्री हुई (एक प्रपत्र)
	1 व्यापारी	**1 मामले**	**1123860**	**584407**	**1708267**	**1 प्रपत्र**
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना	निप्पो पोल फैब्रिक, लि0	2007-08	87749	93014	180763	प्रपत्रों में गलत पता था (3 प्रपत्र)
		2008-09 05.06.2012	2370	2086	4456	
		2009-10 03.01.2013	5084	3559	8643	
	1 व्यापारी	**3 मामले**	**95203**	**98659**	**193862**	
8 व्यापारी		**12 मामले**	**3561362**	**3146601**	**6708165**	**42 प्रपत्र**
कुल बिक्री छूट (₹ लाख)			**₹35.61**	**₹31.47**	**₹67.08**	

परिशिष्ट-VI

संदर्भः परिच्छेद-2.8.2: अवैध तथा डूप्लीकेट प्रपत्र-'एफ'

इकाई का नाम	फर्म का नाम मैसर्ज	कर निर्धारण का वर्ष कर निर्धारण की तिथि	छूट प्राप्त कुल बिक्री पर उद्ग्राह्य कर की विभेदक राशि	हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 19 (i) के अंतर्गत उद्ग्रहण योग्य ब्याज	कुल	प्रपत्र के नकारे जाने के कारण
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बी.बी.एन. बद्दी	बी0डी0एस0 डेकर एण्ड प्रिफेब (पी) लि0	2007-08 30.03.2012	556959	590377	1147336	प्रपत्र डूप्लीकेट प्रति थे (2 प्रपत्र)
	विम प्लास्ट लि0	2007-08 15.05.2013	45829	48579	94407	प्रपत्र एक से अधिक मास के लेन-देन आवृत कर रहे थे (2 प्रपत्र)
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना	तारा मण्डल मिंक्स प्रा0 लि0	2006-07 03.07.2012	265990	329828	595818	प्रपत्र एक से अधिक मास के लेन-देन आवृत कर रहे थे (3 प्रपत्र)
3 व्यापारी/मामले			**868778**	**968784**	**1837561**	**7 प्रपत्र**
कुल बिक्री छूट (₹ लाख)			**₹8.69**	**₹9.69**	**₹18.38**	